संख्या-97/2020/2544जेएल/22-3-2020-21जी/89

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
2-पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
3-समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* *लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2020*

विषय- सिद्धदोष बंदियों को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह(पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या-1894(6)पी/छ:-पु0-3-20-82पी/2020, दिनांक 06-11-2020 **(प्रति संलग्न)** द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) के सम्बन्ध में एस0आई0टी0 द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी है-

"गम्भीर अपराधों में संलिप्त दुर्दान्त अपराधियों को उनके आजीवन कारावास के कार्यकाल के दौरान उनको पैरोल पर कतई न छोड़ा जाय और इसलिए शासन को पैरोल के सम्बन्ध में उपर्युक्त स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून, नियमावली एवं दिशा-निर्देश तत्काल निर्धारित करने होंगे, जिससे विकास दुबे जैसे दुर्दान्त अपराधियों को उनके कारावास कार्यकाल के दौरान उनको कारावास से बाहर आने का अवसर प्राप्त न हो और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके तथा जनसामान्य में उनका भय भी तभी समाप्त हो पायेगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त प्रस्तावित नियमावली एवं दिशा-निर्देश में यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि आपराधिक व्यक्तियों के आपराधिक कृत्यों की निगरानी के साथ ही साथ उनके अवैध आर्थिक श्रोतों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस अवैध अर्जित धन से अपराधियों की नई नर्सरी न पैदा कर सकें।"

-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- उक्त के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17013/23/2020-पीआर, दिनांक 03-09-2020 **(प्रति संलग्न)** द्वारा पैरोल/फर्लो/समयपूर्व के सम्बन्ध में पुनरीक्षित गाइडलाइन निर्गत की गयी है।

3- अतएव एस0आई0टी0 जॉच की संस्तुति तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 03-09-2020 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित गाइडलाइन के आलोक में बंदियों के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) के प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरान्त ही आख्या/संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-97/2020/2544जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-31247/सामा-1/12/2019, दिनांक 22-12-2020 के सन्दर्भ में।
3- अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।